न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-374/2020
अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016
सरकार
बनाम
(1) संजय दास (वाहन मालिक), पिता-श्री नन्द किशोर दास,
सा0-पथरदेवा, पो0-सोनापुर, प्रखंड-नरपतगंज, जिला-अररिया
(2) वकील दास, पिता-वृहस्पति दास,
सा0-जिमराही, वार्ड सं0-02, पंचायत+पो0-सोनापुर, थाना-नरपतगंज
जिला-अररिया...विपक्षीगण

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
01.04.2021	इस वाद की कार्यवाही अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (ज्ञाप संख्या-212/म0नि0, दिनांक 02.03.2020) के आलोक में फारबिसगंज अंचल कांड सं0-11/2020, दिनांक-25.02.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 में जब्त हिरो एच0एफ0 डिलक्स मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या-BR-38E-3585, चेचिस संख्या-MBLHA11EWD9A38003,- ईंजन संख्या-HA11EFD9A43675 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु विपक्षियों के विरूद्ध प्रारम्भ की गई। विपक्षियो को कारण-पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। सूचना का तामिला प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध है। सूचना प्राप्ति के बावजूद विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुये। विपक्षी वाहन मालिक को हर्जाना मो0-50/-रू0 अधिरोपित करते हुए अंतिम मौका भी दिया जा चुका है। बावजूद विपक्षीगण की ओर से कोई समुचित पैरवी नहीं है। स्पष्ट है कि विपक्षीगण को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। (2) विपक्षियों की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (ज्ञाप संख्या-212/म0नि0, दिनांक 02.03.2020) तथा संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का कहना है कि मु0आ0/सा0 रजीत कुमार पासवान, सीमा चौकी पथरदेवा, 'वी' समवाय, 56 वीं वाहिनी एस0एस0बी0 द्वारा दिनांक 25.02.2020 को समय 03.10 बजे प्राप्त आसूचना के आधार पर सशस्त्र बल के साथ नाका के कम में सीमा स्तम्भ संख्या-186/1 से 10 मीटर पहले हनुमान मंदिर के समीप लगभग 04.25 बजे विपक्षीगण को मोटर साईकिल पर सवार होकर बीच में बोरा रखकर नेपाल से भारत की सीमा में प्रवेश करते देखा गया। नाका पार्टी के द्वारा टॉर्च जलाकर मोटर साईकिल को रोकने का इशारा किया गया। नाका पार्टी के द्वारा दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष मोटर साईकिल पर बोरे में रखे सामान की जांच के कम में दो पहिया वाहन हिरो एच0एफ0 डिलक्स मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0-BR-38E-3585, चेचीस संख्या-MBLHA11EWD9A3800, से नेपाली उमंगा शराब 300 मीली लीटर का 60 बोतल तथा गोल्डन ओक नेपाली शराब 180 मिली लीटर की 10 बोतल को बरामद किया गया। बरामद शराब एवं दो पहिया वाहन हिरो एच0एफ0 डिलक्स मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0-BR-38E-3585, चेचीस संख्या-MBLHA11EWD9A38003, को विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। बिना किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति, परमिट अथवा पास के बिना किसी मादक द्रव्य अथवा शराब का विनिर्माण, कब्जा, कय, विकय, वितरण, संग्रहण, बोतल बंद,	

अधिहरण वाद संख्या–374/2020

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
01.04.2021	आयात, निर्यात, परिवहन करना अथवा दूर हटाना, शराब का उपभोग आदि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अंतर्गत एक संगीन अपराध है। फलस्वरूप विपक्षियो के विरूद्ध फारबिसगंज अंचल द्वारा कांड सं0–11/2020, दिनांक–25.02.2020, धारा–30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 दर्ज किया गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक का आगे कहना है कि विपक्षियो द्वारा अवैध शराब का जब्त मोटर साईकिल से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है। जब्त मोटर साईकिल को राजसात किया जाय। (4) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्कों पर सम्यक् विचार तथा अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि विपक्षियो द्वारा जब्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या–BR-38E-3585, चेचिस संख्या–MBLHA11EWD9A38003, ईंजन संख्या–HA11EFD9A43675 का उपयोग अवैध शराब को व्यावसायिक उद्देश्य से ढोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त मोटर साईकिल का कोई दावेदार नहीं है। जब्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या–BR-38E-3585 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा–56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार **फारबिसगंज अंचल कांड सं0–11/2020, दिनांक–25.02.2020, धारा–30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 में जब्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या–BR-38E-3585, चेचिस संख्या–MBLHA11EWD9A38003, ईंजन संख्या–HA11EFD9A43675 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–58(2) के अंतर्गत राजसात (Confiscate)** किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें। विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं। उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, अररिया समाहर्त्ता, अररिया ज्ञापांक 1019/विधि, अररिया, दिनांक 8-4-2021 प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। समाहर्त्ता, अररिया	

न्यायालय समाहर्त्ता अररिया (बिहार)